R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part IInd
Paper vith
Environmental Law

ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सम्बन्धी उपबन्ध

राज्य स्तरीय उपबन्ध :-

ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कदम उठाये गये हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश म्यूनिसपैलिटीज एक्ट 1916 के अंतर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। दिल्ली मोटर वेहिकल्स रूल्स 1940 के अंतर्गत अनावश्यक रूप से कर्कश ध्वनि अथवा अत्यधिक तेज ध्वनि आदि उत्पन्न करने वाले वाहनों को निषिद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स रूल्स 1940 के भाग 5 में अपेक्षा की गयी है कि मोटर यान का निर्माण और रख रखाव इस तरह से किया जाय कि उनके चलने से अनावश्यक रूप से ध्वनि उत्पन्न न हो।

मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑफ म्यूजिक एण्ड लाउडस्पीकर्स एक्ट 1951 के द्वारा प्राइवेट स्थानों या सार्वजनिक गलियों में मध्य रात्रि या 4 बजे सुबह के समय तीव्र म्यूजिक निषिद्ध कर

दिया गया है।

बाँम्बे पुलिस एक्ट 1951 के अंतर्गत संगीत वाद्ययंत्रों और अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों से आला ध्वनि समस्या को रोकने का उपबन्ध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत आदि यंत्रों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है परंतु अधिनियम की धारा 33 (1)(क) के नियम 7 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या बिना लाउडस्पीकर किसी सभा के बिना पुलिस कमीश्नर की अनुमति के करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को निरंकुश मानकर उच्चतम न्यायालय ने हिम्मतलाल बनाम पुलिस कमीश्नर के मामले में अवैध घोषित कर दिया।

अजमेर साउण्ड एंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट 1953 को लाउडस्पीकरों के प्रयोग से उत्पन्न ध्वनि नियंत्रण के लिए पारित किया गया। स्टेट आफ राजस्थान बनाम जी चावला के मामले में अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने वैध घोषित किया। इस अधिनियम में अपेक्षा की गयी थी कि 6 फीट से ज्यादा ऊँचाई पर लगाये गए लाउडस्पीकर जो 30 गज से ज्यादा दूरी तक आवाज दे उसके लिए अनुमति आवश्यक होगी।

बिहार कंट्रोल आफ द यूज एण्ड प्ले आफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 को लाउडस्पीकरों के माध्यम से होने वाले ध्वनि

Scanned with CamScanner

प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध किया गया है। लाउडस्पीकर के प्रयोग के समय और स्थान पर निर्बंधन लगाया जा सकता है।

पंजाब इंस्ट्रूमेंट (रेगुलेशन) ऐक्ट 1956 के अंतर्गत समुदाय के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए लाउडस्पीकर और अन्य यंत्रों के प्रयोग को विनियमित किया गया है। 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह के बीच इनके प्रयोग को निषिद्ध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुचरण बनाम स्टेट आफ हरियाना में इस अधिनियम को वैधानिक घोषित किया।

दि दिल्ली पुलिस ऐक्ट 1978 में पुलिस कमिश्नर को सशक्त घोषित किया गया है कि वह वाचिक और वाद्य यंत्रों सम्बन्धी संगीत या अन्य किसी तरह उत्पन्न आवाजों को निवारित करने, निषिद्ध करने नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।